प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित – श्री उमेश कुमार आगाल वकील प्रार्थी

:: निर्णय::

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है की प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के आधिपत्य एंव खातेदारी कृषि आराजीयात ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बानसेन,तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या नये 26 पुराने 10 में अंकित आराजी नम्बर 66/1 ख रकबा 3 बीघा भूमि लगानी 0.75 रूपया दर्ज रिकार्ड है साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068 व मिलान क्षैत्र संलग्न प्रार्थना पत्र किया है।

उपरोक्त वर्णित पर प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि पर काबिज हो कर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट होने से भू प्रबंध अधिकारियों ने प्रार्थी की उक्त खाते की आराजी नं0 66/1ख को विलोपित कर दिया है। उक्त आराजी नं0 66/1ख का मिलान क्षैत्रफल व नई जमाबंदी में कोई जमीन दर्ज नही की जबकि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:17 IST
Reason: SelfAttested

12.12.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

साबिक रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी नं0 आराजी नं0 66/1ख रकबा 3 बीघा भूमी पर 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है भु.प्रबंध अधिकारीयो ने राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के उक्त खाते को बिना किसी उचित कारण के अन्य किसी खाते में विलोपित कर दिया है जबकि मैं प्रार्थी वर्तमान में उक्त जमीन पर कास्त हुँ जो कि नई जमाबंदी नकल में खसरा सं0 87 में आता है लेकिन भू. प्रबंध अधिकारीयो द्वारा उक्त आराजी नं0 66/1 को किस नंम्बर में मिलान किया अथवा विलोपित किया उसका विवरण भू. प्रबंध अधिकारीयो द्वारा मिलान क्षैत्रफल अथवा अन्य किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख नही किया है।

प्रार्थी उक्त आराजीयात पर वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह सब भू. प्रंबध कर्मचारीयो ने राजस्व रेकार्ड में हेर फेर करते हुए गम्भीर त्रुटि कारीत कर दी है जिससे प्रार्थी के हितो एवं अधिकारो पर विपरीत असर पडा है। इसलिये प्रार्थी अपना साबिक (भू प्रबन्ध से पूर्व) रिकार्ड अनुसार रकबा 3 बिघा में से 1/2 भूमी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने एवं नक्शे में कब्जे अनुसार तरमीम कराने का अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड में दुरस्त करा साबिक रिकार्ड अनुसार प्रार्थी खातेदारी की भूमी को जमाबंदी में अंकन कराने का आदेश फरमावे।

भू. प्रबंध अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रार्थी की आराजीयात को राजस्व रेकार्ड के रकबे को विलोपित करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही था। भू प्रबंध अधिकारियों ने प्रार्थी की आराजियात के राजस्व रेकार्ड में मन मुताबिक परिवर्तन कर दिया है, अतः राजस्व रेकार्ड में त्रुटी को दुरूस्त कराने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । विपक्षी तहसीलदार भदेसर से जवाब तलब किया गया पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प बानसेन में प्रस्तुत हुई । विपक्षीगण की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भादसोडा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व रेकार्ड की स्थिति स्वीकार है साबिक आराजी नम्बर 66/1 रकबा 3 बीघा भेरूवन , अणछी, कंकू बाई पिता नारायण वन मु0 लेरी बाई पत्नि नारायणवन 1/2 निवासी देवडा पीपली श्री मोहनलाल पिता नन्दा 1/2 तेली साकिन बानसेन के नाम दर्ज रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2065–68 में था जिसको नवीन भू प्रबन्ध रेकार्ड में मिलान क्षेत्रफल अनुसार [illegible] के नये आराजी नम्बर 87 रकबा 0–48 हेक्टैयर पर श्री भेरूवन पिता नारायण [illegible] पीपली के नाम पर सम्पूर्ण रकबा दर्ज कर दिया जबकि पूर्व खाते में [illegible] का 1/2 एवं वादी का 1/2 हक से दर्ज था । वादी वर्तमान खाते में 1/2 हिस्से से अंकन चाहता है जो पुराने रेकार्ड मुताबिक उचित है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:17 IST
Reason: SelfAttested

12.7.17
उपखण्ड अधिकारी

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई जिन्होंने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत जवाब प्रतिवेदन से भी जाहिर है कि नवीन भू प्रबन्ध के दौरान आलौच्य आराजीयात में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा विलोपित किया जाकर अकेले विपक्षी संख्या 2 भेरूवन के नाम अंकित कर दिये जाने की त्रृटि की गई जो शुद्व किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है मौजा सुरजपुरा के साबिक आराजी नम्बर 66/1ख रकबा 3 बीघा सेटलमेन्ट से नवीन कायम आराजी नम्बर 87 रकबा 0.48 हैक्टैयर भूमि में से प्रार्थी प्रार्थी मोहनलाल पिता नन्दा जी तेली का 1/2 हक हिस्सा पुनः खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में शुद्वि से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 12–07–2017 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:17 IST
Reason: SelfAttested